न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर कैम्प रीवा ﴾म0प्र0﴿

01 – रामलोचन नाई तनय जगन्नाथ नाई

02 – रामस्वयम्बर नाई तनय जगन्नाथ नाई

03 – श्रीमती श्यामकली पत्नी स्व0 श्री रामसिया नाई

04 – रामानुज नाई तनय स्व0 श्री रामसिया नाई

﴾05﴿ धीरेन्द्र नाई तनय स्व0 रामसिया नाई ।
सभी निवासी ग्राम मवई, तहसील – चुरहट, जिला – सीधी

﴾म0प्र0﴿ ——— निगरानीकर्तागण

बनाम

पंचोली तनय सुखदेव कोल निवासी ग्राम मवई, तहसील – चुरहट, जिला – सीधी ﴾म0प्र0﴿ ——— गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश कलेक्टर महोदय सीधी के प्रकरण क्रमांक 21/अपील/2001 – 2002 में पारित आदेश दिनांक 07/12/2009 अन्तर्गत धारा – 170 ख एवं सहपठित धारा – 50 भू – राजस्व संहिता 1959ई.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :–

﴾01﴿ प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि गैर निगरानीकर्ता ने अनुविभागीय अधिकारी तहसील – चुरहट के न्यायालय में भू – राजस्व संहिता की धारा – 170ख के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 606 , 606/1 2092, 2092/1 स्थित ग्राम मवई, तहसील – चुरहट, के सम्बन्ध में इस आशय का आवेदन – पत्र दिया कि उक्त भूमियों का गैर निगरानीकर्ता भूमिस्वामी है, किन्तु आवेदक जगन्नाथ नाई ﴾मृतक﴿ अनाधिकृत कब्जा कर रखा है उसे बेदखल कर गैर निगरानीकर्ता से कब्जा वापस दिलाया जाय। विद्वान अनुविभागीय अधिकारी गैर निगरानीकर्ता का आवेदन – पत्र

क्रमशः ﴾02﴿..

XXXIX(a)-BR(H)-11

189

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **III / निग0 / भू–रा0 / 2017 / 2302** जिला–सीधी

रामलोचन नाई / पंचोली कोल

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनिरूद्ध सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 21 / अपील / 2001–02 में पारित आदेश दिनांक 07.12.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 09.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	